“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 853] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 नवम्बर 2025 —— कार्तिक 20, शक 1947

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2025

सूचना

क्रमांक ESTB-1/1380/2025-LABOUR.— कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कारखाना नियम, 1962 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप बनाना प्रस्तावित करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 115 की उप-धारा (1) के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 के उप-नियम (1) में,-

(1) खण्ड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(ण-1) "स्तनपान कराने वाली माता" से अभिप्रेत है, जन्म देने के छ: महीने बाद तक की महिला।"

(2) खण्ड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(ड-1) "गर्भवती महिला" से अभिप्रेत है, महिला जो गर्भवती हो।"

2. नियम 107 में,-

(1) अनुसूची दो के पैराग्राफ 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"3. **महिलाओं और अल्पवय व्यक्ति से संबंधित प्रतिषेध.-** (1) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्ति को ऐसे बाथ पर कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, जो धातु की वस्तुओं पर इलेक्ट्रोलाइटिंग,

प्लेटिंग या ऑक्सीकरण से संबंधित हो, जिसमें क्रोमियम, निकिल, कैडमियम, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना आदि धातुओं के अम्ल, क्षार या लवण युक्त इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता हो।

(2) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को छोड़कर महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य में ऐसी शर्त पर नियोजित किया जा सकता है, कि जब इस अनुसूची के तहत परिचालन करने वाले प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी को यांत्रिकी नियंत्रण (बंद प्रणाली), वायु निगरानी प्रणाली, अभेद्य दस्ताने और चेहरे की ढाल सहित विशेष पीपीई का उपयोग, नियमित चिकित्सा निगरानी, रसायनों की अनुमेय जोखिम सीमा (पीईएल) छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 124-बी के अनुसार सुनिश्चित करे और उन्हे नियोजित करते समय नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।''

(2) अनुसूची तीन के पैराग्राफ 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"3. **महिलाओं और अल्पवय व्यक्ति से संबंधित प्रतिषेध -** (1) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्ति को विद्युत संचायकों के विनिर्माण और मरम्मत से संबंधित प्रक्रिया जो सीसा अथवा सीसे के यौगिक से युक्त हो में या किसी ऐसे कमरे में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें कच्चे ऑक्साइड या सीसे के प्रसंस्करण अथवा पेस्टिंग का कार्य किया जाता हो।

(2) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को छोड़कर महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य में ऐसी शर्त पर नियोजित किया जा सकता है, कि कारखाने का अधिभोगी प्रत्यक्ष जोखिम को कम करने के लिए स्वचालित प्रक्रियाओं, नियमित रक्त सीसा स्तर की निगरानी और उन्हें नियोजित करते समय नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा।''

(3) अनुसूची चार के पैराग्राफ 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"4. **महिलाओं और अल्पवय व्यक्ति से संबंधित प्रतिषेध.-** (1) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्ति को कांच निर्माण से संबंधित किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा या उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को छोड़कर महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य में ऐसी शर्त पर नियोजित किया जा सकता है, कि कारखाने का अधिभोगी उन्हें नियोजित करते समय ताप प्रवणता, शीतलन प्रणाली, सीमित जोखिम अवधि, श्वसन सुरक्षा, ताप तनाव निगरानी, यांत्रिकी नियंत्रण, रोटेशन कार्यक्रम और नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा।''

(4) अनुसूची छ: के पैराग्राफ 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"4. **महिलाओं और अल्पवय व्यक्ति से संबंधित प्रतिषेध.-** (1) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्ति को पैराग्राफ 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा या उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को छोड़कर महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य में ऐसी शर्त पर नियोजित किया जा सकता है कि कारखाने का अधिभोगी उन्हें नियोजित करते समय स्वचालित हैंडलिंग प्रणाली, बंद प्रणाली, श्वसन सुरक्षा, मासिक रक्त सीसा निगरानी और अन्य चिकित्सा निगरानी और नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा।''

(5) अनुसूची सात के पैराग्राफ 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"1. **महिलाओं और अल्पवय व्यक्ति से संबंधित प्रतिषेध.-** (1) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्ति को पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन करने वाली किसी भी इमारत में नियोजित या कार्य करने के लिये नियोजित या प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को छोड़कर महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य में ऐसी शर्त पर नियोजित किया जा सकता है कि कारखाने का अधिभोगी उन्हें नियोजित करते समय दूरस्थ निगरानी प्रणाली, गैस का पता लगाने वाले उपकरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण, स्व-निहित श्वास तंत्र और नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करेगा।''

(6) अनुसूची दस के पैराग्राफ 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"4. **महिलाओं और अल्पवय व्यक्ति से संबंधित प्रतिषेध.-** (1) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्ति को प्रिंटिंग प्रोसेस और टाइप फाउंड्रीज में किसी भी सीसा प्रक्रिया या सीसा प्रक्रिया से संबंधित कार्य में नियोजित या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को छोड़कर महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य में ऐसी शर्त पर नियोजित किया जा सकता है कि कारखाने का अधिभोगी उन्हें नियोजित करते समय सीसा प्रबंधन का स्वचालन, सीसा प्रक्रियाओं का घेराव, श्वसन सुरक्षा, नियमित रक्त परीक्षण और नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा।''

(7) अनुसूची बारह के पैराग्राफ 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"5. (1) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्ति को मिट्टी के बर्तनों के निर्माण से संबंधित किसी भी स्थान पर या ऐसे किसी भी स्थान पर, जहाँ ऐसा कार्य किया जाता है, नियोजित नहीं किया जाएगा या उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को छोड़कर महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य में ऐसी शर्त पर नियोजित किया जा सकता है, कि कारखाने का अधिभोगी धूल उपशमन के लिए गीली विधियों का उपयोग, स्थानीय निकास वेंटिलेशन, श्वसन सुरक्षा, जहाँ संभव हो सीसा रहित ग्लेज़ सुनिश्चित करेगा और उन्हें नियोजित करते समय नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करेगा।''

(8) अनुसूची अठारह के पैराग्राफ 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"15. **महिलाओं और अल्पवय व्यक्ति से संबंधित प्रतिषेध.-** (1) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्ति को विलायक निस्तारण संयंत्र में नियोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

(2) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को छोड़कर महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य में ऐसी शर्त पर नियोजित किया जा सकता है, कि कारखाने का अधिभोगी उन्हें नियोजित करते समय बंद निस्तारण प्रणाली, वाष्प पुनर्प्राप्ति और निगरानी प्रणाली, वायु निगरानी प्रणाली, विशेष व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग और नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा।''

(9) अनुसूची बीस के पैराग्राफ 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"8. **महिलाओं और अल्पवय व्यक्ति से संबंधित प्रतिषेध.-** (1) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्ति को मैंगनीज और उसके यौगिकों के विनिर्माण और संचालन से संबंधित किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा या उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को छोड़कर महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य में ऐसी शर्त पर नियोजित किया जा सकता है, कि कारखाने का अधिभोगी उन्हें नियोजित करते समय उच्च-जोखिम वाले कार्यों का स्वचालन, श्वसन सुरक्षा, स्वास्थ्य निगरानी, विशेष व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग और नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा।''

(10) अनुसूची इक्कीस के पैराग्राफ 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"6. **महिलाओं और अल्पवय व्यक्ति के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध.-** (1) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थ के विनिर्माण से संबंधित किसी भी कार्य कक्ष में नियोजित नहीं किया जाएगा या उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और साथ ही ऐसे कार्य करने की भी अनुमति नहीं दी जायेगी जिसमें बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थों के संपर्क में आना शामिल हो।

(2) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को छोड़कर महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य में ऐसी शर्त पर नियोजित किया जा सकता है, कि कारखाने का अधिभोगी उन्हें नियोजित करते समय बंद प्रणाली, वाष्प पुनर्प्राप्ति, निरंतर निगरानी, संपर्क समय की सीमा, जैविक निगरानी, विशेष व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग और नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा।''

(11) अनुसूची बाईस के पैराग्राफ 3 के खण्ड (अ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(अ) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को स्लेट पेंसिल के निर्माण के संबंध में पत्थरों को काटने या पत्थरों पर खांचे बनाने के लिए प्रयुक्त मशीनों पर कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

(12) अनुसूची तेईस के पैराग्राफ 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"5. **महिलाओं या अल्पवय व्यक्ति के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध.-** (1) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को खतरनाक कीटनाशकों के संचालन, विनिर्माण या भण्डारण से संबंधित किसी भी कमरे में नियोजित नहीं किया जाएगा या उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को छोड़कर महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य में ऐसी शर्त पर नियोजित किया जा सकता है, कि कारखाने का अधिभोगी, स्वचालित संचालन प्रणाली, बंद प्रक्रिया, ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए नियमित चिकित्सा परीक्षण, विशेष व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग और उन्हें नियोजित करते समय नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा।''

(13) अनुसूची चौबीस के पैराग्राफ 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"8. **महिलाओं और अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध.-** (1) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को कैंसरकारी रंजक मध्यवर्ती पदार्थों के विनिर्माण कार्य से संबंधित किसी भी कमरे में नियोजित नहीं किया जाएगा या उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें उक्त प्रक्रियाएं की जाती हैं।

(2) गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं/अल्पवय व्यक्तियों को छोड़कर महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य में ऐसी शर्त पर नियोजित किया जा सकता है, कि कारखाने का अधिभोगी स्थानीय वेंटिलेशन, वाष्प निगरानी, एक्सपोजर समय की सीमा, विशेष व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उपयोग और उन्हें नियोजित करते समय नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण के साथ बंद प्रणाली सुनिश्चित करेगा।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 11th November 2025

NOTICE

No. ESTB-1/1380/2025-LABOUR.— In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), the State Government proposes to make following further amendment in the Chhattisgarh Factories Rules, 1962, which is hereby published as required by sub-section (1) of Section 115 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, during office hours in office of the Secretary, Department of Labour, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. In sub-rule (1) of rule 2,-

(1) After clause (k), the following shall be inserted, namely:-

"(k-1) "Lactating mother" means a woman up to six months after giving birth."

(2) After clause (m), the following shall be inserted, namely:-

"(m-1) "Pregnant woman" means a woman who is pregnant."

2. In rule 107,-

(1) For Paragraph 3 of Schedule II, the following shall be substituted, namely:-

"3. Prohibition relating to women and young persons. (1) Pregnant women/lactating mothers/young persons shall not be employed for working in baths involving Electrolyting, plating or oxidation of metal articles using electrolyte containing acids, bases or salts of metals such as chromium, nickel, cadmium, zinc, copper, silver, gold, etc.

(2) Women and persons other than pregnant women/lactating mothers/young persons, may be employed in work specified in the Schedule on such condition that the occupier of every factory carrying out operations under this schedule shall ensure that engineering controls (enclosed system), air monitoring system, use of specialized

PPEs including impermeable gloves and face shields, regular medical monitoring. Permissible Exposure Limit (PEL) of chemicals are as per the Chhattisgarh Factories Rule 124-B and regular safety trainings shall be provided while employing them."

(2) For Paragraph 3 of Schedule III, the following shall be substituted, namely:-

"3. Prohibition relating to women and young persons. (1) Pregnant women/lactating mothers/young persons shall not be permitted to work in process containing lead or any compound of lead relating to manufacture and repair of electrical accumulators or in any room in which manipulation of raw oxide or lead or pasting is carried on.

(2) Women and persons other than pregnant women/lactating mothers/young persons, may be employed in work specified in the Schedule on such condition that the occupier of the factory ensures automated processes to minimize direct exposure, regular blood lead level monitoring and regular safety training while employing them."

(3) For Paragraph 4 of Schedule IV, the following shall be substituted, namely:-

"4. Prohibition relating to woman and young persons.- (1) Pregnant women/lactating mothers/young persons shall not be employed or permitted to work in any operations relating to glass manufacturing.

(2) Women and persons other than pregnant women/lactating mothers/young persons, may be employed in work specified in the Schedule on such condition that the occupier of the factory ensures heat gradient, cooling system, limited exposure period, respiratory protection, heat stress monitoring, engineering controls, rotation programme and regular safety training while employing them."

(4) For Paragraph 4 of Schedule VI, the following shall be substituted, namely:-

"4. Prohibition relating to women and young persons. (1) Pregnant women/lactating mothers/young persons shall not be employed or permitted to work in any operations specified in paragraph 3.

(2) Women and persons other than pregnant women/lactating mothers/young persons, may be employed in work specified in the Schedule on such condition that the occupier of the factory ensures automated handling system, enclosed.

procedures, respiratory protection, monthly blood lead monitoring and other medical surveillance and regular safety training while employing them."

(5) For Paragraph 1 of Schedule VII, the following shall be substituted, namely:-

"1. Prohibition relating to women and young persons. (1) Pregnant women/lactating mothers/young persons shall not be employed or permitted to work or to enter any building where the production of petrol gas from petrol is carried on.

(2) Women and persons other than pregnant women/lactating mothers/young persons, may be employed in work specified in the Schedule on such condition that the occupier of the factory provides remote monitoring system, gas detection equipment, emergency response training, self-contained breathing apparatus and regular safety training while employing them."

(6) For Paragraph 4 of Schedule X, the following shall be substituted, namely:-

"4. Prohibition relating to women and young persons. (1) Pregnant women/lactating mothers/young persons shall not be employed or permitted to work in any lead process or related to lead processes in printing presses and type foundries.

(2) Women and persons other than pregnant women/lactating mothers/young persons, may be employed in work specified in the Schedule on such condition that the occupier of the factory ensures automation of lead management, enclosure of lead processes, respiratory protection, regular blood tests and regular safety training while employing them."

(7) For Paragraph 5 of Schedule XII, the following shall be substituted, namely:-

"5. (1) Pregnant women/lactating mothers/young persons shall not be employed or permitted to work in any place connected with the manufacture of pottery or in any place where such work is carried on.

(2) Women and persons other than pregnant women/lactating mothers/young persons, may be employed in the work specified in the Schedule on such condition that the occupier of the factory ensures the use of wet methods for dust abatement, local exhaust ventilation, respiratory protection, lead free glaze where possible and regular safety training while employing them."

(8) For Paragraph 15 of Schedule XVIII, the following shall be substituted, namely:-

"15. Prohibition relating to women and young persons.

(1) Pregnant women/lactating mothers/young persons shall not be permitted to be employed in solvent extraction plant.

(2) Women and persons other than pregnant women/lactating mothers/young persons, may be employed in work specified in the Schedule on such condition that the occupier of the factory ensures the use of enclosed extraction system, vapor recovery and monitoring system, air monitoring system, use of special personal protective equipment (PPE) and regular safety training while employing them."

(9) For Paragraph 8 of Schedule XX, the following shall be substituted, namely:-

"8. Prohibition relating to women and young persons. (1) Pregnant women/lactating mothers/young persons shall not be employed or permitted to work in any manganese process involving manufacture and operation of manganese and its compounds.

(2) Women and persons other than pregnant women/lactating mothers/young persons, may be employed in work specified in the Schedule on such condition that the occupier of the factory ensures automation of high-hazard tasks, respiratory protection, health monitoring, use of special personal protective equipment (PPE) and regular safety training while employing them."

(10) For Paragraph 6 of Schedule XXI, the following shall be substituted, namely:-

"6. Prohibition relating to employment of women and young persons.- (1) Pregnant women/lactating mothers/young persons shall not be employed and permitted to work in any work room connected with the manufacture of benzene or substance containing benzene and also shall not be permitted to work which involves exposure to benzene or benzene-containing substances.

(2) Women and persons other than pregnant women/lactating mothers/young persons, may be employed in work specified in the Schedule on such condition that the occupier of the factory ensures closed system, vapor recovery, continuous monitoring, limitation of exposure time, biological monitoring, use of special personal protective equipment (PPE) and regular safety training while employing them."

(11) For clause (a) of Paragraph 3of Schedule XXII, the following shall be substituted, namely:-

"(a) Pregnant women/lactating mothers/young persons shall not be employed or permitted to work on machines used for cutting stones or grooves on stones in connection with the manufacture of slate pencils."

(12) For Paragraph 5 of Schedule XXIII, the following shall be substituted, namely:-

"5. Prohibition relating to employment of women or young persons.- (1) Pregnant women/lactating mothers/young persons shall not be employed or permitted to work in any room connected with the handling, manufacture or storage of dangerous pesticides,

(2) Women and persons other than pregnant women/lactating mothers/young persons may be employed in work specified in the Schedule on such condition that the occupier of the factory ensures automated handling systems, enclosed processes, regular medical tests for organophosphates, use of special personal protective equipment (PPE) and regular safety training while employing them."

(13) For Paragraph 8 of Schedule XXIV, the following shall be substituted, namely:-

"8. Prohibition relating to employment of women and young persons. (1) Pregnant women/lactating mothers/young persons shall not be employed or permitted to work in any room connected with the manufacturing operation of carcinogenic dye intermediates in which the said processes are carried out.

(2) Women and persons other than pregnant women/lactating mothers/young persons, may be employed in the work specified in the Schedule on such condition that the occupier of the factory ensures closed system with local ventilation, vapor monitoring, limitation of exposure time, use of special personal protective equipment (PPE) and regular safety training while employing them."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
LOKESH KUMAR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.